

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3/एल-01-42/2022-

/स्वा0, पटना, दिनांक

डा0 कुसुम शर्मा, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एस0एम0 विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को विभागीय पत्राक 463(3) दिनांक 08.08.2025 द्वारा दिनांक 05.10.2025 से 13.10.2025 तक निजी खर्च पर विदेश (जापान) जाने की अनुमति प्रदान की गई थी, परन्तु डा0 कुसुम शर्मा के अनुरोध पर पूर्व में निर्गत विभागीय अनुमति में विदेश यात्रा की अवधि को दिनांक 05.10.2025 से 13.10.2025 के स्थान पर दिनांक 05.10.2025 से 15.10.2025 तक विस्तारित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापाक

567(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक 22/9/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ प्राचार्य, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना/डा0 विद्यारानी सिंह, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एस0एम0 विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा0 कुसुम शर्मा, महिला चिकित्सा पदाधिकारी, पी0एस0एम0 विभाग, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wb m n k 22/9/25
सरकार के अवर सचिव